न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी :–विष्णु बरांल (आर.ए.एस.)

अपील संख्या :– 07 / 2017

हेमेन्द्र पुत्र राजवीर जाति जाट निवासी ग्राम मानौता कलॉं तहसील नगर जिला भरतपुर।

------अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार साहब तहसील नगर।
2. शकुन्तला पत्नी राजवीर जाति जाट निवासी ग्राम मानौता कलॉं तहसील नगर जिला भरतपुर
3. मीनाक्षी पुत्री राजवीर पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी रामनगर एन.ई.बी. के पीछे अलवर जिला अलवर
4. प्रियंका पुत्री राजवीर पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी हिन्डौन फाटक खेडली तहसील कठूमर जिला अलवर

-----रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थित:–

1. श्री गजेन्द्र सिंह सिनसिनवार वकील अपीलान्ट।
2. श्री जमीला खान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 ।

आदेश दिनांक :– 14.02.2024

अपीलान्ट ने यह अपील नामांतरकरण संख्या 1442 बाके ग्राम जालूकी सरपचं ग्राम पंचायत जालूकी के निर्णय दिनांक 06.11.2017 से व्यथित होकर इस आश्य की प्रस्तुत की है कि आराजी खसरा नंबरान 577/0.77 बाके ग्राम जालूकी तहसील नगर हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार है। जिसमे राजवीर फौत हो गये है। राजवीर का दाखिल खारिज खोलते समय अपीलान्ट का नाम छोड दिया गया है राजवीर के वारिसान मे शकुन्तला पत्नि मीनाक्षी, प्रियंका पुत्री व हेमेन्द्र पुत्र है। मृतक राजवीर का दाखिल खारिज खोलते समय वारिसान की जॉच नही की गई की और हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट का नाम दर्ज किया और ना ही ग्राम पंचायत ~~मानौता कलॉं~~ जालूकी द्वारा तस्दीक करते समय चन्दा के वारिसान की जॉच नही कराई गयी। अपीलान्ट का नाम गलत तरीके से रजिवंश हटा दिया है जो गलत व विरूद्व कानून है जिससे नामांतरकरण संख्या 1442 निरस्त किया जाकर पुनः नामांतरकरण जॉच कराकर खोलने के आदेश प्रदान करे। नामांतरकरण की जानकारी दिनांक 14.12.2017 को हुई बगैर देरीना अपील पेश की जा रही है। अन्त मे निवेदन किया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०

फरमायी जाकर दाखिल खारिज संख्या 1442 को निरस्त किया जावे तथा जॉच कर पुन नामांतरकरण खोलने के आदेश प्रदान करे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 04 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट 02 लगायत 04 के पति व पिता स्व. राजवीर सिंह भारतीय नौसेना मे एल.सी.के.(ओ.) नम्बर 108097–ए के पद पर कार्यरत्त था उसके सर्विस बुक मे परिवार के सदस्यो के विवरण मे अपीलान्ट हेमेन्द्र का कोई विवरण नही है और ना ही अपीलान्ट हेमेन्द्र मृतक राजवीर सिंह का पुत्र है। अपीलान्ट मे रेस्पोडेन्टस की जमीन हो हडपने के लिए झुठे व मनगढंत तथ्यो के अधार पर अपील प्रस्तुत की है जो काबिल खारिज है। अपीलान्ट हेमेन्द्र मृतक राजवीर सिंह के भाई गजेन्द्र सिंह का पुत्र है जो उसी के साथ रहता है तथा उसके परिवार राशन कार्ड से पूर्णत साबित है। ग्राम पंचायत जालूकी द्वारा पूर्ण जॉच कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के हक मे मृतक राजवीर की विरासत का दाखिल खारिज स्वीकार किया है जिसमे ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि नही की है। अपीलान्ट द्वारा अपील ग्राम पंचायत जालूकी को पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया जो आवश्यक पक्षकार है जिससे विधि अनुसार अपील अपीलान्ट काबिल खारिज है। ग्राम पंचायत ~~मानौता कलॉ~~ जालूकी द्वारा दिनांक 17.06.2018 को जॉच कराकर मृतक राजवीर सिंह के वारिसान की जॉच कराकर प्रमाण पत्र जारी किया है तथा अपीलान्ट का कभी भी कोई सरोकार मृतक राजवीर सिंह से नही रहा है। अपीलान्ट का पिता गजेन्द्र सिंह परिवहन निगम हॉल डिपो हिण्डोन मे स्टोर मे कार्यरत है जिसकी सेवा पुस्तिका मे भी बतौर पुत्र अपीलान्ट का नाम दर्ज है। अपील अपीलान्ट म्याद बाहर पेश की गई है एंव दफा 5 अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश नही किया गया एंव ग्राम पंचायत जालूकी को पक्षकार नही बनाने की सूरत मे अपील विधि अनुसार खारिज योग्य है। अपीलान्ट हेमेन्द्र सिंह का अन्य पिछडी जाति प्रमाण पत्र दिनांक 20.07.2004 एंव 20.07.2011 फर्जी तरीके से बनवाये गये है तथा मोनालिसा सैकण्डरी स्कुल के कक्षा 04 व कक्षा 06 के प्रगति पत्र मे फर्जी तरीके से मृतक राजवीर सिंह का नाम पिता के रूप मे गलत दर्ज करा रखा है। प्रवेश फॉर्म व एल.के.जी. एस.आर. नम्बर मे प्रवेश लेते समय हेमेन्द्र के पिता गजेन्द्र सिंह अकिंत था अन्त निवेदन किया है कि अपील अपीलान्ट मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एंव पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात, मूल नामांतरकरण संख्या 1442 बाके ग्राम जालूकी का अवलोकन किया गया। नामांतरकरण संख्या 1442 में मृतक राजवीर पुत्र मूली की विरासत दर्ज की गई हैं। राजवीर के वारिसान के रूप मे शकुन्तला पत्नि मीनाक्षी, प्रियंका पुत्री के नाम दाखिल खारिज खोला गया है अपीलान्ट हेमेन्द्र ने अपने आप को मृतक राजवीर का पुत्र बताते हुऐ अपना नाम नामांतरकरण मे दर्ज कराने के लिए निवेदन किया है। पत्रावली मे उपलब्ध शैक्षिणिक दस्तावेजात अंकतालिका कक्षा 04, कक्षा 06, कक्षा 07 जो मोनालिसा सैकण्डरी स्कुल अलवर से जारी की गई इसी प्रकार जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) अलवर राज0 से कक्षा 08 बोर्ड परीक्षा की अकंतालिका एंव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जारी कक्षा 10 की अकंतालिका मे अपीलान्ट का नाम हेमेन्द्र पंवार माता का नाम शकुन्तला देवी पिता का नाम राजवीर सिंह दर्ज है तथा तहसीलदार नगर से जारी अन्य पिछडी जाति प्रमाण पत्र 21.10.2009 एंव 27.07.2011 भी हेमेन्द्र पवांर पुत्र राजवीर सिंह के नाम से जारी किये गये है। फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०

(3)

संख्या 359 जारी करने का दिनांक 05.05.2002 वार्ड नं. 07 मे परिवार का मुखिया शकुन्तला चन्दा देवी सास, मीनाक्षी पुत्री, हेमेन्द्र पुत्र, एंव प्रियंका पुत्री के नाम अंकित है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 17.06.2018 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मानौता कलाँ मे मृतक राजवीर के वारिसान का नाम सतंरा उर्फ शकुन्तला पत्नि प्रियंका लडकी, मीनाक्षी उर्फ मीनू लडकी का नाम अंकित किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड न. 007411800351 कार्ड का प्रकार ए.पी.एल. उपभोक्ता का नाम गजेन्द्र पुत्र मूलचन्द मानौता कलाँ मे कम संख्या 5 पर हेमेन्द्र पुत्र गजेन्द्र का नाम अंकित है। इस प्रकार मृतक राजवीर के विधिक वारिसान के संबंध मे जॉच किया जाना आवश्यक था। जिसकी पालना किये बिना सरपंच ग्राम पंचायत मानौता कलाँ द्वारा मृतक राजवीर के वारिसान की पूर्ण जॉच किये बिना नामांतरकरण स्वीकार किया गया है जो कानूनी भूल हैं। इस प्रकार उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है। अत आदेश है कि–

अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा नामांतरकरण संख्या 1442 निर्णय दिनांक 06.11.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार नगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक राजवीर सिंह के विधिक वारिसान की विस्तृत जॉच कर एंव उभय पक्ष की पूर्ण सुनवाई कर विधि अनुकूल निर्णय पारित करें। तहसीलदार नगर को मूल नामांतरकरण जिल्द नामांतरकरण (1435 से 1484 तक) बाके ग्राम जालूकी इस कार्यालय के पत्र कमांक/राजस्व/23/265 दिनांक 29.09.2023 के साथ भिजवायी जा चूकी है। निर्णय की प्रति पालना हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 1[illegible].02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विष्णु बंसल)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)